विद्या सर्वस्य भूषणम
Wel-Come

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है जिससे समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहे सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग-अलग समाज में तथा एक ही समाज में अलग-अलग समय में भिन्न होते हैं व्यक्तियों का व्यवहार समाज की अपेक्षाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ऐसी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिससे वह उन मूल्यों मानदंडों और योजनाओं का आंतरिक करण कर सकें जो उनकी आदतों इच्छाओं तथा कार्यों को सामाजिक दृष्टि से निश्चित कर सके हम सामाजिक तथा कानूनी मानदंडों का उल्लंघन या तो व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर या दंड के भय से रुकता है सामाजिक दबाव व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन को रोकता है जब मित्र लोग ऐसे उल्लंघन करने वालों की अपेक्षा करने लगता है और उनको यह अनुभव कराने लगते हैं

अर्थ

अपराधिक कानून शब्द का अर्थ है ऐसे अपराध जो दंड संहिता स्थापित कर सकते हैं। इसके विपरीत आपराधिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके माध्यम से अपराधिक कानूनों को लागू किया जाता है उदाहरण - के लिए हत्या पर रोक लगाने वाला कानून एक महत्वपूर्ण अपराध कानून है जिस तरह से सरकार इस साक्ष्य कानून को साक्ष्य और अभियोजना के सभा के माध्यम लागू करती है उसे आमतौर पर एक प्रक्रियात्मक मामला माना जाता है

परिभाषा

(1) "थामस के अनुसार"

जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और आजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है

(2) "मैकाइवर एवं पेज के अनुसार"

संज्ञेयअपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत जिसके लिए और संज्ञेय मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अपराधी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रभजीत किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य

1. संविधान का पालन करना:-
2. देश की रक्षा करना:-
3. समरसता और सम्मान भातृत्व भावना:-
4. गौरवशाली परंपरा का परीक्षण:-
5. नागरिकों के मौलिक अधिकार:-
6. समानता का अधिकार:-
7.. स्वतंत्रता का अधिकार:-
8. शोषण के विरुद्ध अधिकार:-
9. संवैधानिक उपचारों का अधिकार:-
10. पर्यावरण की रक्षा:-

दंड संहिता प्रक्रिया

भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिए मुख्य कानून है। यह सन 1973 में पारित हुआ 1 अप्रैल 1974 से हुआ है "सीआरपीसी" दंड प्रक्रिया संहिता को संक्षिप्त नाम है जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रिया होती है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक व्यक्ति या पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है आईपीसी भारत दंड संहिता का संक्षिप्त नाम है। कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहार को अपराध माना जाता है।

कुछ प्रमुख धारायें

1.धारा 41 बी:-

2.धारा 41 डी:-

3.धारा 46:-

4.धारा 51:-

5.धारा 52:-

6.धारा 55A:-

7.धारा 58:-

8.धारा 106 से 120 तक:-

अपराध

1. अपराध समाज विरोधी क्रिया है।
2. समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना योगी है
3. यह ऐसी क्रिया या क्रिया त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है।
4.अर्थात अपराध कानूनी नियमों कानूनों के उल्लंघन करने के नकारात्मक शक्तिया है जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है।

5.इन परिभाषा के अनुसार किसी नगर पालिका के बनाए नियमों का उल्लंघन कर यदि कोई रात में बिना बत्ती जलाए गाड़ी पर नगर की सड़क पर चलें अथवा बिना पर्याप्त के ट्रेन के जंजीर खींचकर गाड़ी खड़ी कर कर दे तो वह भी उसी प्रकार के दोषी माना जाएगा और कानून शक्तियां हो जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में हम प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को जाने और दंड संहिता प्रक्रिया कानून के अधिकार के बारे में जाने इससे यह ज्ञात होता है कि यदि दंड संहिता नहीं होगा तो यह संसार नहीं चल सकता क्योंकि इंसान अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा जब चाहे नियम का उल्लंघन कर सकता है एवं बिना नियम कानून की पालन किए चलेगा इसलिए जो अपराध करते हैं उनके लिए कड़ी कानून होना चाहिए जिससे वह कभी दोबारा अपराध ना कर सके

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) बालमुकुंद अग्रवाल - हमारी न्यायपालिका

(2) डी. एस. बघेल - भारतीय दंड संहिता

Thank You